संख्या-32/2021/1019/22-2-2020-17(423)/2018

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2021**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिओम पुत्र श्री हुकुमचन्द, निवासी जिला-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27333/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-14-10-2020) दिनांक-02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिओम पुत्र श्री हुकुमचन्द, कस्बा व थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06.09.1996 को अपने 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बंदूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-104/2005 भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 15 वर्ष 03 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध घोर अपराधिक प्रवृत्ति का होने, समाज में शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, आम शोहरत ठीक नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01.06.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06.09.1996 को अपने 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बंदूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के शातिर किस्म का अपराधी होने व समाज में रहना जनहित में न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिओम पुत्र श्री हुकुमचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरिओम (बन्दी संख्या-23330) पुत्र श्री हुकुमचन्द, निवासी जिला-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2021/1019(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-32/2021/1019/22-2-2020-17(423)/2018

दिनांक 22 फरवरी, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरिओम पुत्र श्री हुकुमचन्द, कस्बा व थाना-बेवर, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06.09.1996 को अपने 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बंदूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-104/2005 भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.08.2020 तक 15 वर्ष 03 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने बन्दी द्वारा कारित अपराध घोर अपराधिक प्रवृत्ति का होने, समाज में शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, आम शोहरत ठीक नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 01.06.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 06.09.1996 को अपने 09 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बंदूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के शातिर किस्म का अपराधी होने व समाज में रहना जनहित में न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरिओम पुत्र श्री हुकुमचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in